

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 326]

नवा रायपुर, सोमवार, दिनांक 15 जून 2026 — ज्येष्ठ 25, शक 1948

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 26 मई 2026

अधिसूचना

क्रमांक ESTB-103/37/2025-HOME SECTION.— छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 (क्र. 13 सन् 2007) की धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (क्र. 46 सन् 2023) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (प) के अनुसरण में, जनसुविधा की दृष्टि एवं प्रशासनिक कारणों से, राज्य सरकार, एतद्वारा निम्नलिखित सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट पुलिस थानों की स्थानीय क्षेत्राधिकारिता से संबंधित पूर्व अधिसूचना में कॉलम (4) एवं (5) में, विनिर्दिष्ट ग्रामों और तत्स्थानी पटवारी हल्का नम्बर को अपवर्जित करते हुए उन्हें कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट नवीन पुलिस चौकी की स्थानीय क्षेत्राधिकारिता में शामिल करते हुए निम्नलिखित आंशिक संशोधन करती है:—

सारणी

स.क्र.	उस पुलिस थाने / तहसील एवं जिले का नाम जिसमें सम्मिलित किया जाना है	उस पुलिस थाने / तहसील / जिले का नाम जिससे अपवर्जित किया जाना है	प्रस्तावित ग्रामों / क्षेत्रों के नाम	पटवारी हल्का नम्बर
1	2	3	4	5
1	नवीन चौकी— रामनगर थाना— गुढ़ियारी	पुलिस थाना—गुढ़ियारी तहसील—रायपुर	दिशा कॉलेज के सामने वीरशिवाजी नगर, रामनगर कोटा रोड से जगन्नाथ चौक तक से सुयश अस्पताल एवं उसके पीछे का क्षेत्र, बीएसयूपी कॉलोनी विवेकानंद विद्यापीठ के सामने का मैदान	52
			सीएसईबी ट्रेनिंग सेंटर व गोदाम के पीछे का भाग से होते हुए बिजली ऑफिस कॉलोनी से एफसीआई गोदाम	49

	तहसील—रायपुर जिला—रायपुर	जिला—रायपुर	एफसीआई गोदाम के पीछे का क्षेत्र, कलिंग नगर से होते हुए कुकरी तालाब व उसके पीछे का भाग एवं रेलवे स्टेशन के पीछे का भाग व उसका पार्किंग स्थल व निर्माणाधीन क्षेत्र से, गुड़ियारी अंडरब्रीज से पहले व एक्सप्रेस वे ब्रिज से पहले का क्षेत्र	59
--	-----------------------------	-------------	--	----

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीकांत वर्मा, उप-सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 26th May 2026

NOTIFICATION

ESTB-103/37/2025-HOME SECTION.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7 of the Chhattisgarh Police Act, 2007 (No. 13 of 2007) and in pursuance of clause (u) of sub-section (1) of Section 2 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (No. 46 of 2023), the State Government, hereby, in view of public convenience and administrative reasons, makes the following partial amendment in the previous notification relating to the local jurisdiction of the Police Stations mentioned in column (3)) of the Table below by excluding the villages and there corresponding Patwari Halka Number specified in column (4) and (5) and including the same within the local jurisdiction of the New cutpost specified in column (2):-

TABLE

S. No.	Name of that Police Station Tehsil and District in which to be included	Name of that Police station/Tehsil/ District out of which to be excluded	Name of the proposed villages/Area	Patwari Halka Number
1	2	3	4	5
	New Out Post-Ramnagar Police Station-Gudhiyari Tehsil-Raipur Dist.- Raipur	Police Station-Gudhiyari Tehsil-Raipur Dist.-Raipur	Noirshivaji Nagar in from f Disha College, Suyash Hospital from Ramnagar Kota Road to Jagannath Chowk and the area behind it, BSUP colony ground in front of Vivekananda Vidyapeeth	52
			From Electricity office colony via CSEB Training Centre and rear side of godown to FCI godown	49
			The area behind the FCI godown Through Kalinga Nagar Kukri Talab and the area behind it, the area behind the railway station its parking lot and area under Construction before the Gudhiyan under bridge and before the expressway bridge.	59

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SHRIKANT VERMA, Deputy Secretary.